कार्यालय केन्द्रीय नजारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच न्यायालय के पत्र सं0 1485/प्रशा0 (वी 1) दिनांकित 20।04।2024 द्वारा न्यायालय परिसर बलिया में विद्यमान पूड़ी मिठाई चाय नमकीन की दूकान नं0 3 व 4, जिसके नीलामी हेतु दिनाकं 21।5।24 तक सीलवद टेन्डर आमन्त्रित किया गया था परन्तु किसी द्वारा टेन्डर प्रस्तुत न करने के फलस्वरूप माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0 797/Admin(B-I) dated 15.3.194 एवं सपठित शा0 सं0 562/उन्नीस-2-2007-1007/74टी0सी0 दिनांकित 04।07।2007 के निर्देशानुसार पुन: नीलामी हेतु सीलवन्द टेण्डर दिनाकं 29।05।2024 को समय 12 बजे दिन तक आमन्त्रित किया जाता है । **उक्त दूकानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की शेष अवधि हेतु नीलाम किया जाना है ।**

अत: जिन महानुभाव को उक्त दूकानों की नीलामी लेनी हो वे अपना सील वन्द टेण्डर दिनाकं 29।5।2024 तक समय 12 बजे दिन तक केन्द्रीय नजारत में प्रस्तुत कर सकते हैं ।केन्द्रीय नाजिर सीलवन्द टेन्डर उसी दिन दोपहर 01 बजे नीलाम समिति के समक्ष केन्द्रीय सभागार कक्ष में प्रस्तुत करेगें जिसे सर्वसाधारण के समक्ष उसी दिन खोला जायेगा।

टेण्डर प्रस्तुत करने की शर्ते

1 उपरोक्त वर्णित दूकान की नीलामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में शेष अवधि के लिये के लिये की जानी है । जिसके लिये सीलवन्द टेण्डर प्रस्तुत करना होगा ।

2 प्रत्येक टेण्डर दाताओं को जमानत की धनराशि के रूप में अंकन 10000/- रूपये नकद टेण्डर के साथ जमा करना होगा ।

4 सभी टेण्डरदाताओं को अपने आधार कार्ड/निवास प्रमाण पत्र की स्व प्रमाणित छायाप्रति दाखिल करना होगा एवं मूलप्रति साथ में लाना अनिवार्य होगा ।

5 जिस व्यक्ति का टेण्डर सवसे अधिक होगा उसके पक्ष में नीलाम की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी , निविदा की सम्पूर्ण धनराशि का 1/3 धनराशि तत्काल तथा 1/3 धनराशि माह अक्टूवर एवं तीसरी किश्त की धनराशि माह जनवरी 2025 के प्रथम सप्ताह में जमा करना होगा ।तत्पश्चात् सभी टेण्डरदाताओं की जमानत की धनराशि वापस कर दी जायेगी ।

6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी टेण्डर को विना कारण वताये निरस्त कर सकते है ।

7 माननीय जनपद न्यायाधीश को अधिकार होगा कि अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान का स्थान वदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नही होगा ।

/
अध्यक्ष
नीलाम समिति/ अपर जिला जज
कोर्ट सं0 1 वलिया ।

प्रतिलिपि निम्नाकिंत स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

1 माननीय जनपद न्यायाधीश वलिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
2 जिलाधिकारी वलिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
3 जिला पंचायत परिषद/नगर पालिका परिषद के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
4 लो0नि0वि0 वालिया के नोटिस वोर्ड पर चस्पा हेतु ।
5 जिला न्यायालय के वेवसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु।
6 शा0 सं0 562/उन्नीस-2-2007-1007/74टी0सी0 दिनाकिंत 04।07।2007 के निर्देशानुसार जिला सूचना अधिकारी द्वारा निर्गत नेटिस को स्थानीय समाचार पत्र में नि:शुल्क प्रकाशन हेतु ।

22.5.24
अध्यक्ष
नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं0 1 वलिया ।